



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001 (बिहार)


दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई-मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

बिहार राज्य में जिला स्तरीय बीज वितरक नियुक्त करने संबंधित सूचना (पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत)

बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड, पटना द्वारा विभिन्न फसलों के बीज विपणन हेतु जिला स्तर पर जिलास्तरीय बीज वितरक नियुक्त करने पर विचार किया जा रहा है। प्रथम चरण में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 03 जिलों समस्तीपुर, पूर्णिया एवं बांका में योजना क्रियान्वित किया जायेगा। एक जिले में दो बीज वितरक नियुक्त किया जाना है। वितरक हेतु प्रतिष्ठान का सालाना विक्री- बड़े जिलों (15 या अधिक प्रखण्ड) के लिए 1.5 करोड़ रु०, छोटे जिलों (15 या कम प्रखण्ड) के लिए 75 लाख रु० होना अनिवार्य है। इच्छुक व्यक्ति/संस्था जो बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के जिला स्तरीय बीज वितरक (**Seed Distributor**) उक्त जिलों में बनना चाहते हैं, वह निगम के पटना स्थित कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं अथवा बिहार राज्य बीज निगम लि० के (वेबसाइट) www.brbn.bih.nic.in या कृषि विभाग के (वेबसाइट) www.krishi.bih.nic.in पर भी जानकारी देखा जा सकता है। जिला स्तरीय बीज वितरक नियुक्त करने हेतु निम्नलिखित दिशा-निदेश है:-

1. पायलट जिला- समस्तीपुर, पूर्णियाँ एवं बाँका
2. जिला में वितरकों की संख्या-2
3. जिला स्तरीय बीज वितरक हेतु निम्न अर्हताओं का पालन करना होगा।
 - 3.1 प्रतिष्ठान का सालाना विक्री- बड़े जिलों (15 या अधिक प्रखण्ड) के लिए 1.5 करोड़, छोटे जिलों (15 या कम प्रखण्ड) के लिए 75 लाख
 - 3.2 तीन साल का आडिटेड वैलेंस सीट
 - 3.3 तीन साल का आयकर रिटर्न प्रतिवेदन
 - 3.4 प्रतिभूति राशि-बड़े जिलों के लिए 20 लाख एवं छोटे जिलों के लिए 10 लाख
 - 3.5 जी.एस.टी. (G.S.T) अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाण-पत्र
 - 3.6 पैन न.
 - 3.7 पूर्व में निगम से अधिकृत जिला स्तरीय विक्रेताओं को प्राथमिकता दी जायेगी एवं प्रतिभूति राशि का अंतर राशि ही उन्हें देना होगा।
 - 3.8 जिला कृषि पदाधिकारी के स्तर से निर्गत बीज अनुज्ञप्ति की छाया प्रति।
 - 3.9 वितरक हेतु आवेदक अगर Proprieter स्वयं है, तो Proprietary का प्रमाण पत्र, Partnership है, तो Registered Partnership Deed की छाया प्रति, Company or Society की स्थिति में सक्षम प्राधिकार से निबंधन का प्रमाण पत्र
 - 3.10 03 Blank Cheque बिहार राज्य बीज निगम लि०, के नाम से बतौर जमानत के रूप में।
 - 3.11 500 रूपये स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र।
 - निगम के निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करूँगा एवं अवहेलना करने पर डीलरशिप को निलंबित/रद्द किया जा सकता है।
 - बीज अनुज्ञप्ति तीन वर्ष के अन्दर निलंबित/रद्द नहीं हुई है।
 - प्रतिष्ठान पर कभी भी आवश्यक वस्तु अधिनियम (E.C Act.) के अन्तर्गत कोई कारवाई नहीं की गई है।
 - मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी सत्य एवं सही है।

- 3.12 नई व्यवस्था के सुचारु संचालन हेतु यथाआवश्यक संशोधन प्रबंध निदेशक के द्वारा किया जा सकेगा।
5. **बीज वितरण की व्यवस्था:** – बिहार राज्य बीज निगम लि० चयनित वितरकों को जिले में दिये गये फसलों के बीज लक्ष्य के मूल्य का 50 प्रतिशत राशि जमा करने के उपरान्त ही बीज की आपूर्ति करेगा। शेष 50 प्रतिशत राशि एक महीने के अन्दर जमा करना अनिवार्य होगा। एक महीने से अधिक समय होने पर निगम को 10 प्रतिशत व्याज के साथ अवशेष राशि जमा करना होगा। वितरक जिले के विभिन्न प्रखण्डों में निगम द्वारा अधिकृत विक्रेता के माध्यम से बीज का वितरण करेंगे।
6. **डीलर कमीशन:** – निगम वितरकों को 8 प्रतिशत डीलर कमीशन बीज के कुल मूल्य पर देगा। वितरक दिये गये 8 प्रतिशत कमीशन में से 5 प्रतिशत प्रखण्ड स्तर के निगम के अधिकृत विक्रेताओं को देंगे।
- 6.1 40 क्वी० से उपर बीज उठाव करने वाले विक्रेता को वितरक माल FOR पहुँचायेंगे। इससे कम मात्रा क्रय करने पर क्रेता स्वयं के खर्च पर उठाव करेंगे।
7. **बीज बिक्री की व्यवस्था:**– प्रखण्ड स्तरीय विक्रेता बिहार राज्य बीज निगम लि० के APP से ही बीज का वितरण करेंगे। बिना APP के बीज की बिक्री अमान्य होगी।


विपणन प्रमुख



बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड

छठी मंजिल, पंत भवन, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, पटना - 800001 (बिहार)
दूरभाष/फैक्स: 0612 2547066, वेबसाइट: brbn.bih.nic.in ई-मेल: brbn.bih.mail@gmail.com

जिला स्तरीय बीज वितरक नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र (पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत)

1. जिला का नाम (जिसके लिए डीलरशिप लेना चाहतें हैं) :-
2. फर्म/संस्था का नाम :-

फोटो चिपकाये

3. फर्म का प्रकार :-
4. मालिक/साझेदार/निदेशक का नाम :-
5. आधार सं० -
6. (क) फर्म का पूर्ण पता :-
- (ख) निकटतम रेलवे स्टेशन :-
- (ग) पुलिस स्टेशन :-
- (घ) दूरभाष/मोबाईल नं० :-

7. स्थायी पता :-

ग्राम :-

डाकघर :-

प्रखण्ड :-

जिला :-

8. प्रतिभूति राशि की विवरणी :-

क्र०	बैंक का नाम	ड्राफ्ट संख्या/दिनांक	राशि (रु० में)

9. 03 Blank cheque जमानत के रूप में की विवरणी :-

क्र०	बैंक का नाम	चेक संख्या	

10. गोदाम संबंधी पूर्ण विवरणी :-

(क) स्वयं/भाड़ा की स्थिति में :- (कागजात संलग्न करें)

क्र०	गोदाम का पता	गोदाम का चौहदी	गोदाम का साईज	भंडारण की क्षमता (क्वी० में)

11. परिवहन संबंधित पूर्ण विवरणी :-

(क) स्वयं/भाडे के ट्रक की स्थिति में :- (कागजात संलग्न करें)

क्र०	ट्रक संख्या	मॉडल नं०	भार क्षमता	स्वामित्व का प्रमाण-पत्र	परिवहनकर्ता के साथ अनुबंध है, तो उसका विवरण

12. आवेदित जिले का वैध बीज बिक्री अनुज्ञप्ति (संलग्न करें) :-

13. जी०एस०टी० (GST) सं०

14. पैन (PAN) नं०-

15. तीन साल का ऑडिटेड बैलेंस सीट (संलग्न करें) :- हाँ/नहीं

14. तीन साल का आयकर रिटर्न (संलग्न करें) :- हाँ/नहीं

16. कृषि के अन्य उपादान का विस्तृत विवरण जो बिक्री कर रहे हो :-

17. शपथ पत्र :- (संलग्न) - हाँ/नहीं

आवेदक का हस्ताक्षर